

प्रेषक,

लहरी यादव,
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 27 मार्च, 2018

विषय- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में आडिट अनुशासन की 5 प्रतिशत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन को प्रेषित आपके पत्र संख्या-8/शा0/733/2017-8/04/2015, दिनांक 21 मार्च, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 में पंचायती राज संस्थाओं हेतु व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन की कुल धनराशि रुपये 4631.25 करोड़ में से जिला पंचायतों की धनराशि रुपये 1852.50 करोड़ के सापेक्ष ए.टी.आर. में उल्लिखित संस्तुति संख्या-55 के अनुसार आडिट अनुशासन की 5% धनराशि रुपये 92,62,50,000/- (रुपये बानवे करोड़ बासठ लाख पचास हजार मात्र) संस्तुति संख्या-55 के अनुसार संलग्न सूची में इंगित विवरण के अनुसार वर्ष 2015-16 तक का आडिट कराने वाली जिला पंचायतों को दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

निकाय का नाम	स्वीकृत धनराशि
जिला पंचायतें	9262.500 लाख

2- संलग्न सूची में उल्लिखित जिला पंचायतों को धनराशि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दी जा रही है।

3- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत की जा रही है:-

(1) जिला पंचायतों को स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा शासनादेश के साथ संलग्न सूची में इंगित जिले के सम्मुख कॉलम-3 में वर्ष 2015-16 तक का आडिट कराने वाली जिला पंचायतों के लिये आवंटित धनराशि के अनुसार, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ से आहरित कर ई-पेमेंट के द्वारा सीधे जिला पंचायतों के खाते में जमा की जायेगी। निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ई-पेमेंट हेतु जिला पंचायतों का बैंक खाता एवं आई.एफ.एस.डी. कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है वह सही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(2) धनराशि के आहरण की सूचना, बाउचर संख्या व दिनांक सहित प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन गठित जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक को प्रेषित की जायेगी जो अपने स्तर से धनराशि के आहरण की संहत सूचना पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायेंगे।

(3) पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश स्वीकृत धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे।

4- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेतर-196-जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-0301-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन" के नामे डाला जायेगा।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

लहरी यादव

वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-03/2018/बी-2-208(1) /दस-2018-2/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 6- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
- 9- उपनिदेशक, जिला पंचायत, अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 10- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 11- निदेशक, पंचायती राज (लेखा), इन्दिरा भवन, 10 वां तल, लखनऊ।

आज्ञा से,

लहरी यादव

वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-03/2018/बी-2-208/दस-2018-2/2017 दिनांक 27 मार्च, 2018 का संलग्नक चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 तक का आडिट कराने वाली जिला पंचायतों को वर्ष 2017-18 में आडिट अनुशासन की 5 प्रतिशत धनराशि का आवंटन

3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेतर-
196-जिला परिषदों/ जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-
03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-
0301-सामान्य समनुदेशन-
28-समनुदेशन

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र०सं०	जनपद	वर्ष 2015-16 तक का आडिट कराने वाली जिला पंचायतों को आडिट अनुशासन की धनराशि का समनुदेशन
1	2	3
1.	बुलन्दशहर	377.967
2.	मुजफ्फरनगर	327.956
3.	शामली	206.960
4.	मुरादाबाद	259.507
5.	अमरोहा	236.460
6.	लखनऊ	329.800
7.	खीरी	473.842
8.	उन्नाव	364.370
9.	बस्ती	298.917
10.	संतकबीर नगर	230.698
11.	गोरखपुर	434.432
12.	देवरिया	342.014
13.	कुशीनगर	389.260
14.	महाराजगंज	310.671
15.	बाराबंकी	400.783
16.	अम्बेडकरनगर	296.842
17.	अमेठी	319.659
18.	बहराइच	359.530
19.	संत रविदास नगर	219.405
20.	सोनभद्र	323.577
21.	वाराणसी	304.678
22.	चन्दौली	250.058
23.	आजमगढ	509.103

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र०सं०	जनपद	वर्ष 2015-16 तक का आडिट कराने वाली जिला पंचायतों को आडिट अनुशासन की धनराशि का समनुदेशन
24.	बलिया	354.920
25.	कानपुर देहात	288.776
26.	इटावा	229.776
27.	औरैया	223.784
28.	जालौन	215.718
29.	चित्रकूट	203.042
30.	महोबा	179.995
	योग	9262.500

(रूपये बानवे करोड़ बासठ लाख पचास हजार मात्र)

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।